

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर


// आदेश //

क्रमांक B/3822/  
दो-14-67/59 भाग-सात

जबलपुर, दिनांक 29/07/2019

प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, जबलपुर के पत्र क्रमांक प्रशि./ले.प्र.शा./2019/823 जबलपुर, दिनांक 25-07-2019 द्वारा श्री नदीम अहमद, सहायक ग्रेड-तीन (नया पदनाम जूनियर ज्यूडीशियल असिस्टेंट), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर का चयन लेखा प्रशिक्षण सत्र 01 अगस्त 2019 से 15 अक्टूबर 2019 में किया गया है।

अतः उनको दिनांक 31-07-2019 (अपरान्ह) से कार्यभार मुक्त किया जाता है एवं उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे लेखा प्रशिक्षण शाला में दिनांक 01-08-2019 को अनिवार्यतः उपस्थित हों।

  
(राजेंद्र कुमार वाणी)  
रजिस्ट्रार जनरल


पृष्ठांकन क्रमांक B/3823/  
दो-14-67/59 भाग-सात

जबलपुर, दिनांक 29/07/2019

प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, जबलपुर की ओर सूचनार्थ,
2. प्राचार्य, कार्यालय प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, जबलपुर
3. रजिस्ट्रार, प्रशा., उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
4. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. ज्वार्ट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. अनुभाग अधिकारी, स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. सहायक स्थापना/अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. उपस्थिति लिपिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. दो अतिरिक्त प्रति सहित ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. श्री नदीम अहमद, सहायक ग्रेड-तीन (नया पदनाम जूनियर ज्यूडीशियल असिस्टेंट), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर की ओर इस निर्देश के साथ कि वे लेखा प्रशिक्षण समाप्त होने के उपरांत प्रतिदिन कार्यालय (रजिस्ट्री) में उपस्थित होकर अपना कार्य संपादित करें,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
(सतीश चन्द्र रॉय)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)  
फिर